न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/90/2023	2023/415	26-07-2023	09-01-2025

1. भूपसिंह पुत्र श्री तोताराम जाति अहीर निवासी चिकानी तह0 व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये उप—तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप—तहसीलदार बहादरपुर निर्णय दिनांक 07.06.2022

उपस्थितः—

01—श्री दिनेश यादव —वकील अपी0

02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप—तहसीलदार, बहादरपुर जिला अलवर के आदेश दिनांक 07.06.2022 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 1319, 1320 किस्म गैर मु0 रास्ता भूमि वाके ग्राम चिकानी पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 07—06—2022 को मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला बिना किसी प्रकार की सूचना दिये पारित किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 11—11—2022 को हुई जबकि कार्यालय उप तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी पत्र क्रमांक राजस्व/2022/957 दिनांक 10—11—2022 प्राप्त हुआ। जिसके पश्चात मिन अपीलान्ट ने कार्यालय अधिनस्थ न्यायालय जाकर जानकारी की और दिनांक 14—11—2022 को उक्त निर्णय एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजात की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 14—11—2022 को सांयकाल प्राप्त हुई। जिसके उपरांत वकील साहब से सलाह नश्वरा किया तो उन्होने तुरन्त यह अपील दायर करने की सलाह दी जिससे यह अपील जानकारी की दिनांक 11—11—2022 से अविलम्ब पेश किया जा रहा है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारणो से हुई है। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नही है। इसलिए निर्णय दिनांक 07—06—2022से जानकारी की तारीख दिनांक 11—11—2022 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अपील के संक्षिप्त तथ्य मुकदमा इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट इस आश्य की प्रस्तुत की कि ग्राम चिकानी में सम्वत् 2079 में अपीलान्ट ने नाजायज अतिक्रमण सार्वजनिक पानी की टंकी व मंदिर बनाया हुआ है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बालाबाला दिनांक 07—06—2022 को निर्णय पारित कर आदेश दिया कि अतिक्रमी श्री भूपसिंह खसरा नमबर 1319 गै०मु०रास्ता, 1320 गै०मु० रास्ता से बश दखल किया जाता है। शास्ती शरह लगान 25रू./ है. का 50 गुणा से 25/— रूपये शास्ती आरोपित की जाती है। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है। मिन अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1319 व 1320 गै०मु० रास्ता भूमि के किसी भी रकबे पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। आज भी मौके पर ग्रेवल रोड बना हुआ है जो चालू हे। आवागमन जारी है। पटवारी हल्का द्वारा जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह कतई तथ्यों व मौके के विपरीत प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में जो मिन अपीलान्ट के सार्वजनिक सेवा के लिए मंदिर, पानी की टंकी, बैठने की कुर्सी आदि रास्ता भूमि में होना दर्शित किया गया है, वह कतई गलत है। जबकि उक्त समस्त निर्माण मिन अपीलान्ट ने स्वंय की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर पर 2128 जो कि रास्ता भूमि से लगती हुई है उस पर अरसे दराज पूर्व से कर रखे है, जो आम जनता की सेवा के लिए बनाई हुई है। उक्त पक्का ग्रेवल रोड बना हुआ है जिस पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है। सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त गैरमुमकिन रास्ते दूसरी छोर पर दीगर खातेदारान की आराजी खसरा नम्बर 1326, 1318 स्थित है जो कि प्रभावशाली व मुठमर्द किस्म के व्यक्ति है जिनके द्वारा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर में जेसीबी से खोदा हुआ है और उक्त खातेदारान ने पटवारी हल्का को अपने प्रभाव मे लेकर मौके की गलत रिपोर्ट तैयार करवा कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। जेसीबी से रास्ता अन्य पक्षकारों द्वारा खोदने पर मिन अपीलान्ट ने मना किया तो अपीलान्ट के साथ मारपीट की व धमकी दी कि हमारी शिकायत की तो ठीक नही होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज करने के उपरांत वास्ते तलबी मिन अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 686 दिनांक 17–05–2022 अन्तर्गत धारा 91 भू राज० अधिनियम जारी किया गया था। जिसके पश्चात मिन अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 02–06–2022 को अपना जवाब पेश कर कथन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दी गई है वह खिलाफ मौका दी गई है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा उक्त रास्ते भूमि के किसी भी रकबे पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी उक्त रास्ते से लगती हुई है और अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा हैं। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के सामने पश्चिम दिखा में दीगर खातेदारान की भूमि है जिन्होंने रास्ते की भूमि पर जेसीबी से खोद कर रास्ता अवरूद्ध किया हुआ है तथा रास्ते में गढ्ढे कर रखे है जिससे आना जान दुश्वर हो रहा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमियों के प्रभाव व दवाब में आकर उनके विरूद्ध कार्यवाही ना कर अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी व गलत रिपोर्ट पेश की गई है। इसके साथ साथ निवेदन किया कि स्वंय उक्त आराजी के मौके पर पधार कर आस पास की आराजी सहित पैमाईश अपीलान्ट व अन्य ग्राम को मोजीज व्यक्तियों के समक्ष करायी जावे ताकी श्रीमान के समक्ष सही मौका स्थित रिपोर्ट आ सके। उक्त जवाब का डिस्पेच नम्बर आर जे 06–06–2022 है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो उक्त जवाब को पत्रावली पर लिया गया और नाही मौका मुआयना किया तथा अपने निर्णय में बेजा तोर से अपीलान्ट के उपिस्थत नहीं होने तथा किसी प्रकार का कोई सक्ष्य ध सबूत पेश नही करने का तथ्य अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट महज द्वेश भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत की है। जबकि गांव के अन्य लोगो द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकार यह बखूबी स्पष्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है और नाही जवाब को रिकार्ड पर लिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये एवं बिना मौका निरीक्षण किये निर्णय पारित किया गया हैं, जो काबिल गोर अदालत श्रीमान है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बेजा विश्वास किया है जो कतई विश्वसनीय नही है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय की तारीफ में नही आता है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर जिला अलवर राज० का निर्णय दिनांक 07–06–2022 निरस्त फरमाया जावे।

आ (रक्तरिंग) ए.एन.ए. (न्य.)
अलवर (राज०)

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 18.11.2022 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब 05 माह 11 दिन के विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का चिकानी मय ताईद भू.अ.नि. चिकानी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1319, 1320 रकबा क्रमशः 0.05 है0, 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चिकानी में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चिकानी अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1319, 1320 रकबा क्रमशः 0.05 है0, 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से क्रमशः 0.01 है0, 0.01 है0 पर पक्की दीवार कर एवं जोत लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बहादरपुर का आदेश दिनांक 07.06.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)